17.1.23 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/1/23 को पेश हो।

30/1/23 आज पीठासीन अधिकारी [illegible] अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24.2.23 को पेश हो।

24/2/23 आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/3/23 को पेश हो।

24/3/23 अभिभाषक वादी उपस्थित, वकील वादी द्वारा, पत्रावली की आदेशिका पर Not pressed टिप्पणी अंकित कर हस्ताक्षर किये। अतः पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील हो, पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से कम की जाकर नियत मियाद की फाइलों में शामिल हो।

Not Press

[signature]

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.
Camp- Dulapur Keri

वादपत्र संख्या 87/2018
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

देवीलाल आत्मज श्री बलवन्तराम, जाट, चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

...वादी

बनाम

1. बलवन्त आत्मज श्री रामजीलाल, जाट, ढाणी 1 बी.के.आर. सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. सोहनलाल एवं
3. प्रहलद आत्मज श्री बलवन्तराम, जाट, ढाणी 1 बी.के.आर. सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. श्रीमती शान्तिदेवी धर्मपत्नी श्री बलवन्तराम, जाट, ढाणी 1 बी.के. आर. सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
5. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–शिवपुर
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं

..प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(वादी)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1से4)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–6)

सत्य प्रतिलिपि

अधिकारी
रिकार्ड
श्रीगंगानगर

दिनांक 29 जून, 2018

-- निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/11 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 14, 17, 18, 23 एवं 24 की 1.265 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 4 से 6 की 0.759 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर, खाता संख्या 11/13 मुरब्बा नम्बर 7 से 9 एवं 15, 16 की 6.514 हैक्टर में से 0.253 हैक्टर, खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 21(0.063) हैक्टर, किला नम्बर 22/2(0.150) कुल 0.213 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 5(0. 076), किला नम्बर 6(0.253) कुल 0.329 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1(0.228), किला नम्बर 3, 4, 7 से 9, 12 एवं 13 की 1.771 कुल 10999 कुल 2.541, खाता संख्या 14/14 मुरब्बा नम्बर 15 एवं 16 की 1. 771 हैक्टर में से 0.253 हैक्टर सभी खातों की कुल 5.071 हैक्टर एवं चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/27 मुरब्बा नम्बर 14 की 3.100 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. इसी प्रकार चक सरकज नहर ओड़की के खाता सख्या 11/13 के मुरब्बा नम्बर 7 से 9, 15 एवं 16 की 6.514

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

हैक्टर में से 0.506 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में वादी के नाम दर्ज है. वर्णित समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वर्णित कृषि भूमि का काफी समय पूर्व घरू तौर पर मौखिक बंटवारा किया गया जिसके अनुसार वादी को चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/27 मुरब्बा नम्बर 14 की 3.100हैक्टर कृषि भूमि दी गयी है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा मौका पर फसल खड़ी है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किये गये कि जब भी वादी चाहेगा, सहमति से बंटवारा कर उसके हिस्सा की कृषि भूमि वादी के नाम पर दर्ज करवा देगा. इसी विश्वास पर वादी द्वारा अपने हिस्सा मे प्राप्त कृषि भूमि पर बड़ी मेहनत करके एवं काफी राशि का व्यय कर सुधार कार्य करवाये गये है. कुछ दिवस पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से अपने हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम पर दर्ज करवाने के कथन किये गये किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा टालमटोल करते हुऐ दिनांक 1 जून, 2018 को साफ इन्कार हो गया. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादी को उसके हिस्सा की कृषि भूमि एवं उसे न्याय नहीं देना चाहता. ऐसी स्थिति में, पैतृक सम्पत्ति में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है इसलिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. एवं यही वादहेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/27 मुरब्बा नम्बर 14 की 3.100हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी घोषणा कर वादी के नाम पर दर्ज करने तथा पृथक खाता कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में सरकज नहर ओड़की की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 8 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, चक 8 एच.एच. के नामान्तरकरण संख्या 108, चक सरकज नहर ओडकी के नामान्तरकरण संख्या 82 की चित्रित प्रतियां प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 13 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4798 3471 3369, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 0494 5407 3148, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7954 1554 3077 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2064 4404 9499 एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6522 2943 1752 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी ... श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 14 जून 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहित को ध्यान में रखते हुऐ निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से प्रस्तुत जवाब वादपत्र के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नही है. पक्षकारान द्वारा राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिकी किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है. इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रकिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा/लोक अदालत प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है. न्यायिक दृष्टांत 2008 RRD 478 Lichhma Devi vs. Ramjilal & ors मे प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार As per Mulla's Hindu Law- a wife cannot herself demand a partition but if a partition does take place between her husband and his sons, she is entitled to receiv a share equal to that of a son and to held and enjoy that shar separately even from his husband. के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 4 अपने पति द्वारा किये जा रहे कृषि भूमि के राजीनामा में कृषि भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी है.

सरकज नहर ओड़की की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 8 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070, चक 8 एच.एच. के नामान्तरकरण संख्या 108, चक सरकज नहर ओडकी के नामान्तरकरण संख्या 82 के अनुसार चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/11 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 14, 17, 18, 23 एवं 24 की 1.265 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 4 से 6 की 0.759 हैक्टर कुल 2.024 हैक्टर, खाता संख्या 11/13 मुरब्बा नम्बर 7 से 9 एवं 15, 16 की 6.514 हैक्टर में से 0.253 हैक्टर, खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 21(0.063) हैक्टर, किला नम्बर 22/2(0.150) कुल 0.213 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 5(0.076), किला नम्बर 6(0.253) कुल 0.329 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1(0.228), किला नम्बर 3, 4, 7 से 9, 12 एवं 13 की 1.771 कुल 10999 कुल 2.541, खाता संख्या 14/14 मुरब्बा नम्बर 15 एवं 16 की 1.771 हैक्टर में से 0.253 हैक्टर सभी खातों की कुल 5.071 हैक्टर एवं चक 8

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/27 मुरब्बा नम्बर 14 की 3.100 हैक्टर कृषि भूमि एवं चक सरकज नहर ओड़की के खाता सख्या 11/13 के मुरब्बा नम्बर 7 से 9, 15 एवं 16 की 6.514 हैक्टर में से 0.506 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसका पक्षकारान, प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

|| आदेश ||

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 13 जून, 2018 के अनुरूप **वादी श्री देवीलाल आत्मज श्री बलवन्तराम को** – चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/27 मुरब्बा नम्बर 14 की 3.100हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री बलवन्त आत्मज श्री रामजीलाल को** – चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 3, 4, 7 एवं 8 की 1.012 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री सोहनलाल आत्मज श्री बलवन्त को** – चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/11 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 14, 17, 18, 23 एवं 24 की 1.265 हैक्टर, चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 21(0.063), किला नम्बर 22/2(0.150) कुल 0.213 हैक्टर एवं खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 13(0.253) हैक्टर कुल 1.731 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 3 श्री प्रहलाद आत्मज श्री बलवन्त को** – चक सरकज नहर ओड़की के खाता संख्या 11/13 मुरब्बा नम्बर 7 से 9 एवं 15, 16 की 6.514 हैक्टर में से 0.759 हैक्टर, खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 5(0.076), किला नम्बर 6(0.253) कुल 0.329 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1(0.228), किला नम्बर 9 एवं 12(0.506) कुल 0.734 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.822 हैक्टर एवं **प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती शान्तिदेवी धर्मपत्नी श्री बलवन्त को** – चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/11 मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 4 से 6(0.759) खाता संख्या 14/14 मुरब्बा नम्बर 15 एवं 16(1.771) हैक्टर में से 0.253 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. किन्तु कृषि भूमि के ऋण से मुक्त होने की स्थिति में ही इस निर्णय की कियान्विती की जा सकेगी. यथा डिकी जारी हो.

आदेश खुले लोक अदालत कैम्प– दुल्लापुरकेरी में आज दिनांक 29 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती सीमा ढाका)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

डिकी

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

देवीलाल आत्मज श्री बलवन्तराम, जाट, चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर. ...वादी

बनाम

1. बलवन्त आत्मज श्री रामजीलाल, जाट, ढाणी 1 बी.के.आर. सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. सोहनलाल एवं
3. प्रहलद आत्मज श्री बलवन्तराम, जाट, ढाणी 1 बी.के.आर. सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. श्रीमती शान्तिदेवी धर्मपत्नी श्री बलवन्तराम, जाट, ढाणी 1 बी.के.आर. सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
5. शाखा प्रबन्धक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा–शिवपुर
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 87/2018
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 व 4 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–6) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री देवीलाल आत्मज श्री बलवन्तराम को – चक 8 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/27 मुरब्बा नम्बर 14 की 3.100हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री बलवन्त आत्मज श्री रामजीलाल को** – चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 3, 4, 7 एवं 8 की 1.012 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री सोहनलाल आत्मज श्री बलवन्त को** – चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/11 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 14, 17, 18, 23 एवं 24 की 1.265 हैक्टर, चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 21(0.063), किला नम्बर 22/2(0.150) कुल 0.213 हैक्टर एवं खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 13(0.253) हैक्टर कुल 1.731 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 3 श्री प्रहलाद आत्मज श्री बलवन्त को** – चक सरकज नहर ओड़की के खाता संख्या 11/13 मुरब्बा नम्बर 7 से 9 एवं 15, 16 की 6.514 हैक्टर में से 0.759 हैक्टर, खाता संख्या 12/15 मुरब्बा नम्बर 8 किला नम्बर 5(0.076), किला नम्बर 6(0.253) कुल 0.329 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1(0.228), किला नम्बर 9 एवं 12(0.506) कुल 0.734 हैक्टर इस प्रकार कुल 1.822 हैक्टर एवं **प्रतिवादी संख्या 4 श्रीमती शान्तिदेवी धर्मपत्नी श्री बलवन्त को** – चक सरकज नहर ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/11 मुरब्बा नम्बर 15 किला नम्बर 4 से 6(0.759) खाता संख्या 14/14 मुरब्बा नम्बर 15 एवं 16(1.771) हैक्टर में से 0.253 हैक्टर कुल 1.012 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. किन्तु कृषि भूमि के ऋण से मुक्त होने की स्थिति में ही इस निर्णय की कियान्विती की जा सकेगी.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य......दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

कार्यालय रिकार्ड शाखा जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रभारी अधिकारी
कार्यालय रिकार्ड
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner